भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 1562/2018

प्रधान सचिव के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य और अन्य

बनाम

महेन्द्र गुप्ता और अन्य

08 फरवरी, 2018

(ए. के. सिकरी और अशोक भूषण, जेजे.)

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के ग्वालियर बेंच के डब्ल्यू. ए. सं. 177/2015 दिनांक 22.03.2017 के निर्णय और आदेश के विरूद्ध

अपीलार्थी की ओर से – मिश्रा सौरभ, अर्जुन गर्ग, अंकित कुमार लाल, अधिवक्ता

**निर्णय**

**अशोक भूषण, जे.**

1. मध्य प्रदेश राज्य ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंड पीठ, ग्वालियर की पीठ के फैसले दिनांक 22.03.2017 के खिलाफ अपील की है, जिसके द्वारा राज्य द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश दिनांक 17.03.2015 के फैसले पर सवाल उठाते हुए दायर निर्णय रिट अपील को खारिज कर दिया गया है।

2. पक्षकारों का वर्णन रिट याचिका में उल्लिखित अनुसार किया जाएगा। इस अपील को उत्पन्न करने वाले तथ्य इस प्रकार हैंः

रिट याचिकाकर्ताओं के पास दो मार्गों के लिए स्थायी परमिट है, एक ग्वालियर से भांडेर और दूसरा ग्वालियर से दतिया। प्रतिवादी सं. 3 के पास भी ग्वालियर से झाँसी मार्ग का स्थायी परमिट है। प्रतिवादी नंबर 3 ने अपने वाहन की आवाजाही के लिए समय–सारिणी में संशोधन के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 3 का आवेदन 16.10.2014 को राज्य परिवहन प्राधिकरण के समक्ष सुनवाई के लिए आया। सुनवाई की तिथि पर आवेदक के वकील के साथ–साथ आपत्तिकर्ताओं के वकील दोनों को सुना गया। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने संशोधन की अनुमति दी और जनहित में आवेदक की प्रार्थना के अनुसार समय–सारिणी में बदलाव करने का निर्णय लिया। यह आदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा

15.12.2014 को जारी किया गया था। दिनांक 15.12.2014 के आदेश से क्षुब्ध होकर, रिट याचिका संख्या 883/2015 दो याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई थी जो राज्य परिवहन प्राधिकरण के समक्ष आपत्तिकर्ता थे। रिट याचिका में आवेदक पवन अरोड़ा द्वारा दायर आवेदन पर सवाल उठाते हुए विभिन्न आधार उठाए गए थे। विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष उठाए गए आधारों में से एक यह था कि यद्यपि राज्य परिवहन प्राधिकरण ने 16.10.2014 को मामले की सुनवाई की थी, जिसमें अध्यक्ष और दो सदस्य शामिल थे, तथापि, आदेश अध्यक्ष और केवल एक सदस्य के हस्ताक्षर के साथ दिया गया था, क्योंकि एक सदस्य श्री संजय चैधरी का इसी बीच स्थानांतरण हो गया, अतः दिनांक 15.12.2014 का आदेश अवैध है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाकर्ताओं की दलील को स्वीकार कर लिया और दिनांक 15.12.2014 के आदेश को रद्द करते हुए रिट याचिका को स्वीकार कर लिया।

3. मध्य प्रदेश राज्य ने विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती देते हुए रिट अपील दायर की। राज्य ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष दलील दी कि अध्यक्ष और एक सदस्य द्वारा जारी आदेश में कोई अवैधता नहीं थी, हालांकि, जब 16.10.2014 को बैठक हुई तो तीन सदस्यों ने इसकी सुनवाई की। डिवीजन बेंच ने विद्वान एकल न्यायाधीश के दृष्टिकोण को बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी।

4. अपील के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान वकील ने यह तर्क दिया कि मध्य प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1994 के तहत राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक का कोरम तीन होता है–अध्यक्ष और दो सदस्य और कोरम पूरा हो गया था जब बैठक 16.10.2014 पर आयोजित की गई थी, सदस्यों के बहुमत द्वारा दिया गया निर्णय किसी भी तरह से अवैध नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सुनवाई के बाद, एक सदस्य का स्थानांतरण कर दिया गया था और वह 15.12.2014 को जारी आदेश का हिस्सा बनने के लिए उपलब्ध नहीं था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह भी माना जाता है कि एक सदस्य दो अन्य सदस्यों के निर्णय से सहमत नहीं था, हालांकि, रिकॉर्ड पर ऐसी कोई दलील या सामग्री नहीं है, सदस्यों के बहुमत द्वारा लिया गया निर्णय पूरी तरह से वैध था और दिनांक 15.12.2014 के आदेश में कोई कमजोरी नहीं थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश तथा डिवीजन बेंच ने यह विचार रखने में त्रुटि की कि 15.12.2014 का आदेश एक अवैध आदेश था।

5. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन किया और तर्क दिया कि जब एक सदस्य जिसने 16.10.2014 को मामला सुना वह उपलब्ध नहीं था तो राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता था। वे प्रस्तुत करते हैं कि मामले की सुनवाई तीन सदस्यों द्वारा की गई थी,

इसलिए निर्णय केवल तीन सदस्यों द्वारा जारी किया जा सकता था और विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ द्वारा लिए गए विचार कानून के अनुसार हैं।

6. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

7. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में, धारा 68 की उप–धारा (3) में निर्दिष्ट शक्तियों और कार्यों का प्रयोग और निर्वहन करने के लिए एक राज्य परिवहन प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है। धारा 68 (1) और 68 (3) नीचे उद्धृत किए गए हैं:

''68. परिवहन प्राधिकरण – (1) राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उपधारा (3) में निर्दिष्ट शक्तियों और कार्यों का प्रयोग और निर्वहन करने के लिए राज्य के लिए एक राज्य परिवहन प्राधिकरण का गठन करेगी, और उसी तरह क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों को प्रत्येक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के संबंध में ऐसे क्षेत्रों (इस अध्याय में क्षेत्रों के रूप में संदर्भित) में प्रयोग और निर्वहन करने के लिए गठित करेगी, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है; ऐसे प्राधिकारियों को इस अध्याय द्वारा या इसके अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां और कार्य:

बशर्ते कि केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक किसी भी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण का गठन करने से परहेज कर सकता है।

( 2 ) .....

( 3 ) राज्य परिवहन प्राधिकरण और प्रत्येक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण धारा 67 के तहत जारी किए गए किसी भी निर्देश को प्रभावी करेगा और राज्य परिवहन प्राधिकरण, इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत अन्यथा प्रदान किए गए ऐसे निर्देशों के अधीन, पूरे राज्य में निम्नलिखित शक्तियों और कार्यों का प्रयोग और निर्वहन करेगा, अर्थात

(ए) राज्य के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों की गतिविधियों और नीतियों, यदि कोई हो, का समन्वय और विनियमन करना;

(बी) जहां ऐसा कोई प्राधिकरण नहीं है, वहां क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के कर्तव्यों का पालन करना और, यदि वह उचित समझे या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा ऐसा आवश्यक हो, तो दो या दो से अधिक क्षेत्रों के लिए किसी भी साझा मार्ग के संबंध में उन कर्तव्यों का पालन करना;

(सी) सभी विवादों का निपटारा करना और उन सभी मामलों पर निर्णय लेना जिन पर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों के बीच मतभेद उत्पन्न होते हैं;

(सीए) सरकार स्टेज कैरिज चलाने के लिए मार्ग बनाएगी; और

(डी) ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना जो निर्धारित किया जा सकता है।

8. नियम मध्य प्रदेश राज्य द्वारा बनाए गए हैं, अर्थात, मध्य प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1994। नियमों के अध्याय 5 में ''परिवहन वाहनों का नियंत्रण'' शीर्षक शामिल है। नियम 63 राज्य परिवहन प्राधिकरण का प्रावधान करता है। नियम 63(4) से (7) इस प्रकार उद्धृत हैं:

"63. राज्य परिवहन प्राधिकरण –

(4) राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक ऐसे समय और ऐसे स्थान पर होगी जैसा अध्यक्ष नियुक्त करे।

(5) राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक के सदस्य को कम से कम तीन दिन का नोटिस दिया जाएगा।

(6) राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक गठित करने के लिए कोरम उपनियम (7) के तहत अध्यक्ष या नामित अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य (चाहे सरकारी या गैर–सरकारी) होंगे। यदि बैठक के लिए नियत समय से एक घंटे के भीतर हॉल में कोरम पूरा नहीं होता है, तो बैठक ऐसे दिन और ऐसे समय और स्थान पर स्थगित कर दी जाएगी जो उपनियम (7) के तहत नामित अध्यक्ष या कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं और कोई कोरम स्थगित बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक नहीं होगा।

(7) अध्यक्ष, यदि बैठक में भाग लेने में असमर्थ है, तो बैठक में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए एक सदस्य को नामित करेगा।

9. नियम 64 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के लिए प्रदान करता है और नियम 65 परिवहन प्राधिकरणों के व्यवसाय के संचालन के लिए है। नियम 65(2) से 65(4) इस प्रकार हैं:

65. परिवहन प्राधिकारियों के व्यवसाय का संचालन –

(2) राज्य या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, बैठक आयोजित किए बिना सदस्यों के बहुमत के वोटों को लिखित रूप में दर्ज करके और सचिव को भेजकर (इसके बाद परिसंचरण द्वारा प्रक्रिया के रूप में संदर्भित किया जाएगा) अत्यावश्यक प्रकृति के किसी भी मामले का निर्णय ले सकता है।

(3) सर्कुलेशन द्वारा प्रक्रिया का पालन किए जाने की स्थिति में, सचिव परिवहन प्राधिकरण के प्रत्येक सदस्य को मामले के ऐसे विवरण भेजेगा जो सदस्य को किसी निर्णय पर पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए उचित रूप से आवश्यक हो सकते हैं और तारीख निर्दिष्ट करेंगे जिसके द्वारा सदस्यों के वोट परिवहन प्राधिकरण के कार्यालय में प्राप्त किये जायेंगे। जैसा कि ऊपर कहा गया है, सदस्यों के वोट प्राप्त होने पर, सचिव सभापति के समक्ष कागजात रखेगा, जो प्राप्त वोटों और अध्यक्ष द्वारा डाले गए वोट या वोटों के अनुसार, आवेदन या अन्य दस्तावेज के रूप पर, जैसा भी मामला हो, पृष्ठांकित कर निर्णय को रिकॉर्ड करेगा। डाले गए वोटों का रिकॉर्ड परिवहन प्राधिकरण की नियमित रूप से गठित बैठक में परिवहन प्राधिकरण

के किसी सदस्य के अलावा किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं होगा। सर्कुलेशन द्वारा प्रक्रिया पर कोई निर्णय नहीं किया जाएगा, यदि उस तारीख से पहले जब तक सदस्यों के वोट परिवहन प्राधिकरण के कार्यालय तक पहुंचने की आवश्यकता होती है, परिवहन प्राधिकरण के कम से कम एक तिहाई सदस्यों ने यह मांग करते हुए सचिव को लिखित रूप में नोटिस दिया है कि इस मामले को परिवहन प्राधिकरण की बैठक में भेजा जाए।

(4) सर्कुलेशन द्वारा प्रक्रिया पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक वोटों की संख्या, अध्यक्ष के दूसरे या निर्णायक वोट को छोड़कर, कोरम का गठन करने के लिए आवश्यक सदस्यों से कम नहीं होगी।

xxx xxx xxx xxx

10. जैसा कि ऊपर बताया गया है, मामले के तथ्य बताते हैं कि राज्य परिवहन प्राधिकरण ने 16.10.2014 का एजेंडा जारी कर प्राधिकरण की बैठक बुलाई। बैठक में अध्यक्ष के अलावा दो सदस्य श्री संजय चैधरी, परिवहन आयुक्त एवं श्री राजीव शर्मा, मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग उपस्थित थे। आवेदक के साथ–साथ आपत्तिकर्ताओं के वकील को 16.10.2014 को सुना गया। समिति का निर्णय 15.12.2014 को जारी किया गया था जिस पर अध्यक्ष और केवल एक सदस्य श्री राजीव शर्मा द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, क्योंकि सुनवाई की तारीख के बाद और आदेश जारी होने से पहले एक सदस्य, श्री संजय चैधरी का स्थानांतरण हो गया था। आदेश दिनांक 15.12.2014 की प्रति को अनुलग्नक पी–1 के रूप में रिकॉर्ड पर लाया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से सुनवाई की तारीख, यानी 16.10.2014 का उल्लेख है। वर्तमान मामले के लिए आदेश के केवल प्रासंगिक भागों को निकालना उपयोगी हैः

'' राज्य परिवहन प्राधिकरण,

मध्य प्रदेश मोतिमहल, ग्वालियर

कार्यसूची क्रम सं. 71

केस नं. 2159/2014 16.10.2014 को सुनवाई

समक्षः

1. प्रमोद अग्रवाल अध्यक्ष

प्रधान सचिव,

मध्य प्रदेश सरकार

परिवहन विभाग, भोपाल

2. संजय चैधरी सदस्य

परिवहन आयुक्त

मध्य प्रदेश, ग्वालियर

3.राजीव शर्मा सदस्य

मुख्य अभियंता

लोक निर्माण विभाग,

ग्वालियर

... ... ...

... ... ...

आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये उपरोक्त आवेदन को दिनांक 16.10.2014 को राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में सुनवाई हेतु सूचीबद्ध करते हुए इसे कार्यसूची में सम्मिलित किया गया तथा विभागीय वेबसाइट एवं कार्यालय एवं समस्त क्षेत्रीय/अतिरिक्त क्षेत्रीय/जिला परिवहन कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किया गया। उक्त निर्धारित तिथि तक उक्त वाहन चालकों की आपत्ति प्राप्त की गयी।

मामले को राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 16.10.2014 में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दिन पक्षकारों की ओर से उनके नियुक्त वकील उपस्थित हुए, जिनको सुना गया।

... ... ...

... ... ...

नोटः चूंकि प्राधिकरण के एक सदस्य श्री संजय चैधरी का स्थानांतरण सुनवाई के बाद हो गया था, अतः प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं एक सदस्य मुख्य अभियंता द्वारा उक्त आदेश पारित किया जा रहा है।

एसडी/– एसडी /–

सदस्य सदस्य

राज्य परिवहन प्राधिकरण राज्य परिवहन प्राधिकरण

मध्य प्रदेश''

11. इस अपील में एकमात्र मुद्दा जिस पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या, जब दिनांक 16.10.2014 की बैठक में अध्यक्ष और दो सदस्यों ने समय अनुसूची में बदलाव के लिए आवेदन पर सुनवाई की थी, तो केवल दो सदस्यों (अध्यक्ष और एक सदस्य) द्वारा आवेदन की अनुमति देने का आदेश पारित किया जा सकता था, चूंकि आदेश केवल अध्यक्ष और एक सदस्य द्वारा 15.12.2014 को हस्ताक्षरित किया गया था।

12. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के साथ–साथ मध्य प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1994 के वैधानिक प्रावधानों से संकेत मिलता है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण धारा 68(1) के तहत राज्य सरकार द्वारा गठित एक बहुसदस्यीय निकाय है। राज्य परिवहन प्राधिकरण एक बहुसदस्यीय निकाय है जो आपातकालीन स्थिति को छोड़कर बैठकों में कारोबार करता है। बैठक ऐसे समय और ऐसे स्थान पर बुलाई जानी है जो अध्यक्ष नियुक्त करे। सदस्यों को तीन दिन का नोटिस देना आवश्यक है और बैठक का कोरम अध्यक्ष या नामित अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य हैं, यानी कोरम तीन है। वर्तमान मामले में, इसमें कोई विवाद नहीं है कि जब बैठक 16.10.2014 को आयोजित की गई थी तो कोरम पूरा था क्योंकि अध्यक्ष और दो सदस्य उपस्थित थे, जो तथ्य ऊपर दिए गए दिनांक 15.12.2014 के आदेश में स्पष्ट रूप से देखा गया है। बैठक में उपस्थित तीन सदस्यों ने आवेदक व आपत्तिकर्ताओं को सुना। लेकिन आदेश 15.12.2014 को जारी किया जा सका, जिसके द्वारा एक सदस्य का स्थानांतरण हो गया था और वह आदेश पर हस्ताक्षर करने के लिए उपलब्ध नहीं था। एक और महत्वपूर्ण तथ्य जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए वह यह है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से नोट किया था कि उपरोक्त मुद्दा केवल विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के दौरान उठाया गया था और रिट याचिका में कोई दलील नहीं थी। निर्णय के पैराग्राफ 16 में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने स्वयं निम्नलिखित पर ध्यान दिया हैः

''16. पक्षों द्वारा उठाया गया अंतिम प्रश्न विवादित आदेश पारित करने में एस.टी.ए. की क्षमता के बारे में है। हालाँकि इस याचिका में इस संबंध में कोई दलील नहीं है। हालाँकि , विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री के. एन. गुप्ता ने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया है कि मामले की सुनवाई तीन सदस्यों द्वारा की गई थी और आदेश दो सदस्यों द्वारा पारित किया गया .....''

13. बहु–सदस्य निकाय बहस, परामर्श और चर्चा के बाद अपना कार्य करता है। बहु –सदस्य निकाय का विचार सर्वसम्मति से या मतों द्वारा व्यक्त किया जाता है। बहु–सदस्य निकाय द्वारा विभिन्न प्रकार के निर्णयों के लिए निर्णय की स्वीकृति के लिए विशेष बहुमत भी प्रदान किए जाते हैं। आम तौर पर, एक बहु–सदस्य निकाय के सभी निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत की राय से व्यक्त किए जाते हैं, सिवाय इसके कि कानून में ही विशेष बहुमत प्रदान किए गए हैं।

14. ''बैठकों के कानून और व्यवहार'', ग्यारहवें संस्करण पर शेकलटन ने बहुमत पर चर्चा करते हुए पैराग्राफ 7–30 में निम्नलिखित कहा है। पैराग्राफ 7–30 और 7–31 के प्रासंगिक भाग नीचे उद्धृत किए गए हैंः

'' 4 बहुमत

परिभाषा

7–30 बहुमत एक ऐसा शब्द है जो अधिक संख्या को दर्शाता है। विधायी और विचारशील विधानसभाओं में, उपस्थित और मतदान करने वालों के बहुमत द्वारा प्रश्नों का निर्णय लेना सामान्य बात है। इसे कभी–कभी ''साधारण'' बहुमत के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसका अर्थ है कि एक प्रस्ताव केवल इस तथ्य से चलाया जाता है कि विरोध की तुलना में अधिक वोट डाले जाते हैं, जो एक ''विशेष'' बहुमत से अलग है जहां बहुमत का आकार महत्वपूर्ण है।

यह सिद्धांत लंबे समय से स्थापित है कि किसी निगम या निकाय की इच्छा केवल उसके संपूर्ण या बहुमत सदस्यों द्वारा ही व्यक्त की जा सकती है, और बहुमत के कार्य को संपूर्ण का कार्य माना जाता है।

बहुमत का वोट अल्पमत को बांधता है।

7–31 जब तक कि जिस उपकरण द्वारा निगम का गठन किया जाता है उसमें इसके विपरीत कोई प्रावधान न हो, किसी भी प्रश्न पर बहुमत का प्रस्ताव बहुमत और निगम पर बाध्यकारी होता है, लेकिन नियमों का पालन किया जाना चाहिए।"

15. यद्यपि नियम, 1994 स्पष्ट रूप से यह प्रावधान नहीं करता है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण का निर्णय बहुमत की राय के अनुसार लिया जाएगा, लेकिन राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में निर्णय लेने के लिए कोई विशेष बहुमत प्रदान नहीं किया गया है, सामान्य, नियम है कि उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा लिए गए निर्णय का पालन करना होगा। वर्तमान मामले में जब तीन सदस्य उपस्थित थे और कोरम पूरा था, तो बहुमत से लिया गया निर्णय, यानी दो सदस्यों की राय राज्य परिवहन प्राधिकरण का वैध निर्णय होगा।

16. परिवहन प्राधिकरणों के व्यवसाय के संचालन से संबंधित नियमों के नियम 65 उपधारा (2) में प्रावधान है:
''65(2) राज्य या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, अत्यावश्यक प्रकृति के किसी भी मामले पर बैठक आयोजित किए बिना सदस्यों के बहुमत के वोटों को लिखित रूप में दर्ज करके निर्णय ले सकता है और सचिव को भेज सकता है (इसके बाद इसे संचलन द्वारा प्रक्रिया कहा जाएगा)।''

17. इस प्रकार, सदस्यों के बहुमत से निर्णय लेने की अवधारणा नियमों की योजना में काफी हद तक मौजूद है। हालाँकि, जहाँ कोई निर्णय सर्कुलेशन द्वारा वोटों द्वारा लिया जाना है, वहाँ नियम 65(4) में विशेष बहुमत

प्रदान किया गया है, लेकिन वर्तमान मामला सर्कुलेशन द्वारा निर्णय का नहीं होने के कारण, उपस्थित सदस्यों द्वारा किया गया साधारण बहुमत ही राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा बाध्यकारी निर्णय लेने के लिए पर्याप्त था।

18. निर्णय के पैराग्राफ 18.1 में, डिवीजन बेंच ने कहा किः

''18.1. वर्तमान मामले में यह बताने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि एसटीए ने पूर्ण कोरम के साथ मामले को सुना और सदस्यों में से एक श्री संजय चैधरी को स्थानांतरित करने से पहले किसी भी मसौदा आदेश को उक्त स्थानांतरित सदस्य से अनुमोदित कराया गया था।''

19. उपरोक्त टिप्पणी रामास्वामी नादर बनाम मद्रास राज्य, एआईआर 1958 एससी 56 में इस न्यायालय के फैसले को अलग करते हुए उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा की गई थी। इससे पहले कि हम रामास्वामी नादर में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करें, यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ की यह टिप्पणी तथ्यात्मक रूप से गलत है कि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि राज्य परिवहन प्राधिकरण का कोरम पूरा था। राज्य परिवहन प्राधिकरण का आदेश दिनांक 15.12.2014 को अनुलग्नक पी–1 के रूप में रिकॉर्ड पर लाया गया है और आदेश का प्रासंगिक भाग हमारे द्वारा ऊपर निकाला गया है जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि सुनवाई 16.10.2014 को हुई थी जहां अध्यक्ष और दो सदस्य उपस्थित थे तो नियम 68(1) के अनुसार तीन होने पर कोरम पूरा था। सुनवाई तीन सदस्यों द्वारा की गई जिसे आदेश में ही नोट किया गया है, जैसा कि ऊपर निकाला गया है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय की खंडपीठ की यह टिप्पणी कि कोरम पूरा नहीं था और तीन सदस्यों द्वारा मामले की सुनवाई नहीं की गई, सही नहीं है।

20. अब, हम रामास्वामी नादर (सुप्रा) में इस न्यायालय के निर्णय पर आते हैं। उपरोक्त मामले में इस मामले की सुनवाई इसी कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने की थी, जिन्होंने सुनवाई के बाद बरी करने का फैसला सुनाया था. मसौदा निर्णय को उन न्यायाधीशों में से एक ने भी मंजूरी दे दी थी, जिनकी हालांकि फैसला सुनाए जाने से पहले ही मृत्यु हो गई थी। निर्णय में संलग्न नोट निम्नलिखित आशय का थाः

''नोट

सिन्हा, जे.

जब इस अपील की सुनवाई पिछले सप्ताह हम तीनों, बीपी सिन्हा, पी. गोविंदा मेनन और जे.एल. कपूर, जेजे. की पीठ द्वारा समाप्त की गई, तो हमने घोषणा की कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलकर्ता को बरी कर दिया जाना चाहिए। हमने यह भी संकेत दिया कि निर्णय अगले सप्ताह सुनाया जाएगा। निर्णय का मसौदा पिछले सप्ताह दिवंगत श्री न्यायमूर्ति मेनन को भेजा गया था और उन्होंने इसे मंजूरी दे दी थी। अब हम

जो बता रहे हैं वह उन न्यायाधीशों के कारण हैं जिन्होंने पीठ का गठन किया था; लेकिन मिस्टर जस्टिस मेनन की अप्रत्याशित मृत्यु के कारण इस पर हममें से केवल दो लोगों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

के.एस.बी अपील स्वीकृत की गई।"

21. उपरोक्त मामले में तीन जजों की सहमति से फैसला सुनाया गया। जब सुनवाई हुई तो तीनों न्यायाधीशों की राय व्यक्त की गई लेकिन एक न्यायाधीश की मृत्यु हो जाने के कारण दो न्यायाधीश ही फैसला सुना सके। हालाँकि, उपरोक्त मामले के तथ्य थोड़े अलग थे यानी यह इंगित करने के लिए सामग्री थी कि तीसरा न्यायाधीश जो हस्ताक्षर नहीं कर सका, वह भी राय से सहमत था, लेकिन वर्तमान मामले में तीसरे सदस्य की कोई दलील नहीं है कि वह निर्णय से सहमत था या नहीं। वर्तमान मामले के लिए, हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि तीसरा सदस्य निर्णय से सहमत नहीं था। इस न्यायालय के निर्णयों के लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 उपखंड (5) में प्रावधान है कि इस न्यायालय के न्यायाधीश मामले की सुनवाई में उपस्थित न्यायाधीशों के बहुमत की सहमति से निर्णय दे सकते हैं।

22. वर्तमान एक ऐसा मामला है जहां एक बहुसदस्यीय निकाय द्वारा वैधानिक नियमों के अनुसार समिति की बैठक में निर्णय लिया जाना है। निर्णय लेने के लिए ऐसा कोई बहुमत प्रदान नहीं किया गया है, बहुमत के निर्णय को राज्य परिवहन प्राधिकरण की राय के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

23. दो और मामले, जिन पर अपीलकर्ता ने भरोसा किया और उच्च न्यायालय ने देखा, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गोकल चंद– जगन नाथ बनाम नंद राम दास– आत्मा राम, एआईआर (1938) पी.सी. 292, में प्रिवी काउंसिल का फैसला वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक है। प्रिवी काउंसिल के समक्ष अपील में, उच्च न्यायालय के फैसले को इस आधार पर चुनौती दी गई कि उच्च न्यायालय के दो माननीय न्यायाधीशों ने मामले की सुनवाई की, हालांकि, दोनों न्यायाधीश फैसले से सहमत थे, लेकिन एक न्यायाधीश निर्णय पर हस्ताक्षर करने से पहले छुट्टी पर चले गये, जिस पर केवल एक न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। प्रिवी काउंसिल ने इस तर्क को खारिज कर दिया और माना कि न्यायाधीशों में से किसी एक द्वारा हस्ताक्षर करना केवल अनियमितता थी, इससे मामले की योग्यता प्रभावित नहीं होगी। निम्नलिखित को पैराग्राफ 6, 7 और 8 में निर्धारित किया गया थाः

"6. अपीलकर्ताओं द्वारा एक और मुद्दा उठाया गया था। उन्होंने आग्रह किया कि उच्च न्यायालय के जिस निर्णय के खिलाफ अपील की गई है वह वैध निर्णय नहीं है क्योंकि यह सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLI,

नियम 31 का अनुपालन करने में विफल रहा है। इस मुद्दे पर प्रासंगिक तथ्य यह है कि उच्च न्यायालय में सुनवाई दो न्यायाधीशों, हैरिसन और आगा हैदर जेजे के समक्ष हुई थी, और वास्तव में पूर्व न्यायाधीश द्वारा फैसला सुनाया गया था, बाद वाले सहमत हुए थे। फैसला 22 फरवरी, 1933 को सुनाया गया था। लेकिन हैरिसन जे. फैसले पर हस्ताक्षर करने से पहले छुट्टी पर चले गए थे, जिस पर डिप्टी रजिस्ट्रार आगा हैदर जे. ने हस्ताक्षर किए थे और एक नोट संलग्न किया था कि हैरिसन जे. फैसले पर हस्ताक्षर करने से पहले छुट्टी पर चले गए थे।

7. आदेश XLI, नियम 31 के लिए आवश्यक है कि अपीलीय न्यायालय का निर्णय लिखित रूप में होगा और इसमें विभिन्न मामलों का उल्लेख होगा, और ''जिस समय इसे सुनाया जाएगा उस समय न्यायाधीश या उससे सहमत न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित होना चाहिए।''

8. नियम यह नहीं कहता कि यदि इसकी आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया तो निर्णय अमान्य हो जाएगा। इसलिए चैंकाने वाले परिणाम के लिए स्पष्ट और सटीक शब्दों की आवश्यकता होगी। वास्तव में नियम कोई निश्चित समय भी नहीं बताता है जिसमें इसे पूरा किया जाना है। जो उचित है उससे परिभाषित होने का समय बाकी है। अपनी प्रकृति से ही इस नियम का उद्देश्य किसी निर्णय के पक्षकारों के अधिकारों को प्रभावित करना नहीं है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्णय क्या था। यह एक नियम है जिसका न्यायाधीशों को उस उद्देश्य के लिए अनुपालन करना आवश्यक है। व्यवहार में इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायाधीश इसका अनुपालन करते हैं, क्योंकि ऐसा करना उनका कर्तव्य है। लेकिन दुर्घटनाएं हो सकती हैं। एक न्यायाधीश निर्णय देने के बाद मर सकता है, लेकिन इससे पहले कि उसे उस पर हस्ताक्षर करने का उचित अवसर मिले। ऐसे दोष की आपूर्ति करने के लिए न्यायालय के पास अंतर्निहित क्षेत्राधिकार होना चाहिए। निर्णय पर हस्ताक्षर करने से पहले छुट्टी पर चले गए न्यायाधीश के मामले में अधिक टिप्पणी की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन फिर भी न्यायालय की सुविधा और वादकारियों के हित प्रबल होने चाहिए। दोष महज एक अनियमितता है। लेकिन सच तो यह है कि समस्या का निपटारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 99 और 108 से हो जाता है। धारा 99 में प्रावधान है कि किसी भी कार्यवाही में किसी भी त्रुटि, दोष या अनियमितता के कारण किसी भी डिक्री को उलटा नहीं किया जाएगा या पर्याप्त रूप से परिवर्तित नहीं किया जाएगा और न ही किसी मामले को अपील में वापस भेजा जाएगा, जो मामले की योग्यता या न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित नहीं करेगा। वह धारा मूल डिक्री की अपीलों से निपटने वाले भाग में शामिल है। लेकिन धारा 108 अपीलीय डिक्री के खिलाफ अपील पर समान प्रावधान लागू करती है और काउंसिल में महामहिम के समक्ष अपील पर सिद्धांत लागू करना हमेशा बोर्ड के विवेक पर निर्भर करता है। उनके आधिपत्य के फैसले में, यहां दोष एक अनियमितता थी जो मामले की योग्यता या न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर रही थी, और डिक्री को रद्द करने का कोई आधार नहीं है।"

24. एक अन्य निर्णय, ए. शांता राव बनाम राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, हैदराबाद और अन्य, एआईआर 1985 ए.पी. 256 था जिसका अपीलकर्ता ने हवाला दिया था। उपरोक्त मामले में, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण जिसमें अध्यक्ष और दो सदस्य शामिल थे, ने मामले की सुनवाई की। हालाँकि, आदेश केवल अध्यक्ष के हस्ताक्षर से जारी किया गया था। आदेश पर इस आधार पर हमला किया गया कि अन्य दो सदस्यों ने आदेश पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, आदेश अवैध है। उस तर्क को खारिज करते हुए अनुच्छेद 9 में निम्नलिखित कहा गया थाः

"9. पहले प्रश्न पर, मेरा विचार है कि एक बार जब राज्य परिवहन प्राधिकरण के कार्यवृत्त पर अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए पाए जाते हैं, तो केवल यह तथ्य कि अंतिम आदेश केवल अध्यक्ष के हस्ताक्षर के तहत संप्रेषित किया जाता है, किसी भी अवैधता के बराबर मायने नहीं रखता है। न्यायालय को मामले के सार को देखना है, न कि केवल स्वरूप को, और यदि यह स्पष्ट है कि न्यायाधिकरण के सभी सदस्यों ने मामले के तथ्यों पर अपना दिमाग लगाया है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संचार अध्यक्ष के हस्ताक्षर के तहत किया जाता है।"

25. हालाँकि उपरोक्त दोनों मामलों में न्यायालय /न्यायाधिकरण के सभी सदस्यों की सहमति थी लेकिन सभी ने आदेश पर हस्ताक्षर नहीं किये थे। वर्तमान मामला एक ऐसा मामला है जहां अध्यक्ष और दो सदस्यों ने दिनांक 16.10.2014 की बैठक में आवेदन पर सुनवाई की लेकिन आदेश बाद में 15.12.2014 को सुनाया गया और केवल अध्यक्ष और एक सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। इस बीच तीसरे सदस्य का स्थानांतरण हो गया। जैसा कि ऊपर देखा गया है, रिट याचिका में इस बारे में कोई दलील नहीं है कि क्या तीसरा सदस्य, जिसे स्थानांतरित किया गया था, प्रस्तावित आदेश से सहमत था या उस निर्णय से सहमत नहीं था, जो राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा दिया जाना था। यदि तीसरा सदस्य सहमत होता, तो इस मामले में कोई बहस नहीं हो सकती, रामास्वामी नादर (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले और गोकल चंद–जगन नाथ (सुप्रा) में प्रिवी काउंसिल के फैसले में ये मुद्दे शामिल हैं। लेकिन इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए न तो कोई दलील थी और न ही कोई सामग्री थी कि तीसरा सदस्य राय से सहमत है, हम वर्तमान मामले की जांच करने के लिए आगे बढ़े हैं जैसे कि, तीसरा सदस्य प्रस्तावित आदेश से सहमत नहीं था। हमने इस निष्कर्ष पर पहुंचने का कारण पहले ही देख लिया है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश, अध्यक्ष और एक सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित, एक वैध आदेश है जिसे तीन में से दो की बहुमत राय के साथ जारी किया गया है, जिन्होंने आवेदन पर 16.10.2014 को सुनवाई की थी। इस प्रकार, मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, दिनांक 15.12.2014 के आदेश, जिस पर अध्यक्ष और एक सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, के साथ

कोई अवैधता नहीं जोड़ी जा सकती है।

26. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हमारी राय है कि अध्यक्ष और एक सदस्य के हस्ताक्षर से जारी दिनांक 15.12.2014 का निर्णय इस तथ्य के बावजूद एक वैध निर्णय था कि जब बैठक 16.10.2014 को हुई थी तब सदस्यों में से एक जो सुनवाई के समय उपस्थित थे और इस बीच उनका स्थानांतरण हो गया था और उन्होंने आदेश पर हस्ताक्षर नहीं किया था। राज्य परिवहन प्राधिकरण का दिनांक 15.12.2014 का निर्णय पूरी तरह से नियम, 1994 की वैधानिक योजना के अनुरूप था और विद्वान एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच दोनों ने निर्णय को अमान्य ठहराने में गलती की। इस प्रकार, हमारा विचार है कि विद्वान एकल न्यायाधीश और खंडपीठ के फैसले कानून के बारे में सही दृष्टिकोण व्यक्त नहीं करते हैं।

27. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकृत की जाती है और उच्च न्यायालय के निर्णयों को रद्द कर दिया जाता है।

अपील स्वीकृत।

raj kumar mishra